संख्या–3265/1–10–2004–12(34)/2005–रा0–10

प्रेषक

श्री अनन्त कुमार सिंह,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ दिनांक 26 नवम्बर, 2004

विषयः वर्ष 2004–2005 में संभावित शीत लहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत राहत कार्य हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या–3016/1–11–2004–15/99टीसी, दिनांक 25.11.2 04 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में संभावित शीत लहर के प्रकोप से गृह विहीन/निराश्रित/असहाय व्यक्तियों के बचाव हेतु सार्वजनिक उपयुक्त स्थानों पर आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में अलाव जलाने व जरूरत मन्द लोगों को निःशुल्क कम्बल वितरण हेतु श्री राज्यपाल कुल रू0 1,00,16,000/–(रूपये एक करोड़ सोलह हजार मात्र) संलग्न सूची के अनुसार सम्बन्धित जिलाधिकारियों के निवर्तन पर निम्न शर्तों के अधीन रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(क) उक्त स्वीकृत धनराशि से कम से कम जनपद में स्थित प्रति नगर पंचायत के तीन स्थान पर प्रति नगर पालिका के पांच स्थान पर तथा नगर निगम के 25 सार्वजनिक स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में अलाव जलाने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना है ।

(ख) निःशुल्क कम्बल वितरण हेतु खरीदे जाने वाले कम्बल की लम्बाई कम से कम 235 सेमी0 चौड़ाई कम से कम 140 सेमी0 वजन कम से कम 2.2 कि0ग्राम का होना चाहिए। इन कम्बलों को लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग के

————2/–

शासनादेश संख्या–745/18–5– 2002–59(एस0पी0)/92,दिनांक 22 अप्रैल, 2002 में निर्धारित शर्तों के अधीन श्री गांधी आश्रम/उ0प्र0राज्य हथकरघा निगम /यूपिका/उ0प्र0 निर्यात निगम लि0 से क्रय किया जाए। कम्बल क्रय की रसीद सत्यापन सहित तथा निर्धारित प्रारूप पर व्यय विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा पात्र व्यक्तियों को ही यह सुविधा प्रदान की जाय। कम्बल क्रय एवं वितरण में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए।

(ग) प्रस्तर– 'ख' में इंगित गुणवत्ता का कम्बल यदि जनपद में उपलब्ध न हो तो श्री गांधी आश्रम खादी ग्रामोद्योग भवन, हजरतगंज,लखनऊ दूरभाष न0–2224208, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम, 2 राणा प्रताप मार्ग, मोती महल, लखनऊ, दूरभाष संख्या 2230818 / 2628577 से सम्पर्क कर क्रय कर सकते हैं। कम्बल पहुँचाने का मार्ग व्यय सम्बन्धित संस्था द्वारा वहन किया जायेगा।

(घ) निराश्रित/असहाय व्यक्तियों को शीत लहर से बचाने हेतु कम्बल का क्रय, वितरण शीघ्रता एवं तत्परता से किया जाए ताकि जरूरत मन्द व्यक्तियों को समय से यह सुविधा शीत लहरी की पूरी अवधि हेतु प्राप्त हो सके।

(ड.) यदि शीतलहर की अवधि लम्बी हो जाए और कम्बल वितरण व अलाव जलाने हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता महसूस हो, तो अपने जनपद की मांग का प्रस्ताव मयपूर्ण विवरण फैक्स द्वारा शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाए, ताकि ससमय धनावंटन पर विचार किया जा सके।

..........3/–

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–2005 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03–राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से व्यय–42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त स्वीकृत धनराशि संभावित शीत लहर के प्रकोप से बचाव हेतु सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने व निःशुल्क कम्बल वितरण के दायित्वों की पूर्ति के लिए है। इस धनराशि का उपयोग विगत वर्षों के दायित्वों तथा अन्य मदों पर व्यय की अनुमन्यता नहीं है ।

4. कृपया आवंटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करते हुए इसका लेखा–जोखा वित्तीय नियमों के अनुसार रखा जाए तथा व्यय की गई धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय साथ ही आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

संलग्नकःस्वीकृत धनराशि की
जनपदवार सूची।

(अनन्त कुमार सिंह)
सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या–3265(1)/1–10–2004–12(34)/2003–रा0–10 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार,लेखा आडिट, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
2. समस्त कोषाधिकारी, उ0 प्र0 ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0 प्र0।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0 प्र0, लखनऊ ।

————4/–

5. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
6. वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
7. वित्त (लेखा) अनुभाग–2
8. राजस्व अनुभाग–10/11 बजट सहायक।
9. प्रत्येक जनपद की चालू वर्ष(2004–2005) की धनावंटन विषयक पत्रावली में ।
10. गार्ड फाइल, राजस्व अनुभाग–10

आज्ञा से,

(राकेश कुमार)
अनु सचिव

वर्ष 2004–2005 में सम्भावित शीत लहर से बचाव हेतु अलाव मद व निःशुल्क कम्बल वितरण हेतु शासनादेश संख्या–3265/1–10–2004–12(34)/2003–रा0–10दिनांक 25 नवम्बर, 2004 के क्रम में जनपदवार स्वीकृत धनराशि की सूची।

क्रमांक	जनपद का नाम	स्वीकृत धनराशि
1	2	3
1.	मुरादाबाद	1,48,000.00
2.	ज्योतिबाफुलेनगर	1,52,000.00
3.	रामपुर	1,36,000.00
4.	बिजनौर	3,12,000.00
5.	मेरठ	2,72,000.00
6.	बागपत	1,00,000.00
7.	गाजियाबाद	2,80,000.00
8.	बुलन्दशहर	3,04,000.00
9.	गौतमबुद्धनगर	92,000.00
10.	सहारनपुर	1,84,000.00
11.	मुजफ्फरनगर	2,68,000.00
12.	बरेली	3,60,000.00
13.	बदायूँ	3,24,000.00
14.	पीलीभीत	1,32,000.00
15.	शाहजहाँपुर	1,44,000.00
16	आगरा	2,84,000.00
17.	अलीगढ़	2,48,000.00
18.	हाथरस	1,24,000.00
19.	मथुरा	2,16,000.00

———2/–

20.	मैनपुरी	1,16,000.00
21.	एटा	2,84,000.00
22.	फिरोजाबाद	1,04,000.00
23.	कानपुर नगर	1,32,000.00
24.	कानपुर देहात	1,24,000.00
25.	फर्रूखाबाद	1,00,000.00
26.	कन्नौज	1,08,000.00
27.	इटावा	96,000.00
28.	औरैया	92,000.00
29	झांसी	2,04,000.00
30.	ललितपुर	56,000.00
31.	जालौन	1,52,000.00
32.	चित्रकूट	44,000.00
33.	बांदा	1,12,000.00
34.	हमीरपुर	1,08,000.00
35.	महोबा	76,000.00
36.	फतेहपुर	88,000.00
37.	प्रतापगढ़	92,000.00
38.	मिरजापुर	72,000.00
39.	सोनभद्र	1,04,000.00
40.	संतरविदासनगर(भदोही)	1,00,000.00
41.	हरदोई	2,12,000.00
42.	रायबरेली	1,24,000.00
43.	सीतापुर	1,80,000.00
44.	लखीमपुर खीरी	1,52,000.00
45.	उन्नाव	2,40,000.00
46	फैजाबाद	96,000.00
47.	अम्बेडकरनगर	84,000.00

Abhaunta

48.	सुलतानपुर	80,000.00
49.	बाराबंकी	1,40,000.00
50.	गोण्डा	96,000.00
51.	बहराइच	64,000.00
52.	बलरामपुर	64,000.00
53.	बस्ती	32,000.00
54.	संतकबीरनगर	56,000.00
55.	सिद्धार्थनगर	64,000.00
56.	कुशीनगर	92,000.00
57.	देवरिया	1,36,000.00
58.	महराजगंज	88,000.00
59.	आजमगढ़	1,60,000.00
60.	बलिया	1,96,000.00
61.	मऊ	92,000.00
62.	वाराणसी	1,32,000.00
63.	चन्दौली	68,000.00
64.	जौनपुर	1,20,000.00
65.	गाजीपुर	1,20,000.00
66.	गोरखपुर	1,84,000.00
67.	इलाहाबाद	2,08,000.00
68.	लखनऊ	1,84,000.00
69.	श्रावस्ती	24,000.00
70.	कौशाम्बी	84,000.00
योग: (रूपये एक करोड़ सोलह हजार मात्र)		1,00,16,000.00

(अनन्त कुमार सिंह)
सचिव एवं राहत आयुक्त।